जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 25.09.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. किशुनलाल लोध पुत्र कोदई निवासी समदा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, हे0का0 वीरेन्द्र चौधरी।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5996 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद के कारण घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5996 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रांतर्गत केचुआखोर से कालर ने इवेन्ट संख्या 42374 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट/विवाद होने से 01 व्यक्ति (चन्द्रपाल साहनी पुत्र रामनयन साहनी, ग्राम केचुआखोर, थाना धर्मसिहवा, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धर्मसिंहवा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राजेश चौहान, आ0 संदीप कुमार, हो0चा0 शेख अब्दुल्ला।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 126 वाहनों से 1,62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 126 वाहनों से 1,62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 25.09.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सरकारी धन के गबन के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 502/2024 धारा 409 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक कुमार चौधरी पुत्र स्व0 रामलौट चौधरी निवासी दरुआजप्ती अदालत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 25.09.2024 को मुखलिसपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रासिंग के पास से माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. अशोक कुमार चौधरी पुत्र स्व0 रामलौट चौधरी निवासी दरुआजप्ती अदालत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

उ0नि0 श्री राजीव सिंह, उ0नि0 श्री अशोक सिंह, हे0का0 प्रदीप सिंह विसेन, का0 राहुल प्रसाद।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 25.09.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 25.09.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.09.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दहेज हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 04 वर्ष 08 माह 12 दीन के कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 25.09.2024 को ***अपर सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2020 धारा 304 भा0द0सं0 के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त हरिश्चन्द्र यादव पुत्र मोहित यादव निवासी राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सत्र परीक्षण संख्या 151/2020 मु0अ0सं0 17/2020 थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के अन्तर्गत धारा 304(2) में 04 वर्ष 08 माह 12दीन के अवधि के कारावास एवं 10000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।

अभि0 द्वारा उक्त मामले में जेल में बितायी कोई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। सिद्धदोष हरिश्चन्द्र यादव को सजायावी वारण्ट अविलम्ब तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला करागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाये।